रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276528
CG-DL-E-26092026-276528

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4914] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 4914] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

कृषि एवं कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2026

का.आ. 5105(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 क के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी विनिर्माता इकाई द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले फास्फोजिप्सम (दानेदार) के संबंध वाणिज्यिक परीक्षणों के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	15.0
(ii)	भार के आधार पर शुष्क सोडियम अन्तर्वस्तु (Na के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.75
(iii)	कण का आकार: 90 % से अन्यून सामग्री 4 एम एम की भारतीय मानक छलनी से निकल जाए और 1 एम एम की भारतीय मानक छलनी पर रह जाए	
(iv)	भार के आधार पर सल्फर (S के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	13.0
(v)	भार के आधार पर शुष्क कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट अन्तर्वस्तु का प्रतिशत न्यूनतम	70.0
(vi)	भार के आधार पर फ्लोराइड (F के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	1.0
	भारी धातु अन्तर्वस्तु (मिलिग्राम प्रति किलाग्राम के रूप में) अधिकतम	

	लेड(Pb के रूप में)	100.0
	केडमियम (Cd के रूप में)	5.0
	क्रोमियम (Cr के रूप में)	50.0
	निकल (Ni के रूप में)	50.0
	आर्सेनिक (As_2O_3 के रूप में)	10.0
	पारा (Hg के रूप में)	0.15

[फा. सं. 4-76/2026-उर्वरक विधि (पी)]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5105(E).— In pursuance of clause 20 A of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, the Central Government hereby notifies the following specifications in respect of Phosphogypsum (Granular) to be manufactured by any manufacturing unit for conducting commercial trials for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	15.0
(ii)	Sodium content (as Na) per cent. by weight, maximum	0.75 (on dry basis)
(iii)	Particle size: Not less than 90 per cent. of the material shall pass through 4 mm IS sieve and shall be retained on 1 mm IS sieve.	
(iv)	Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum	13.0
(v)	Calcium Sulphate dihydrate content, per cent. by weight minimum	70.0 (on dry basis)
(vi)	Fluoride (as F) per cent. by weight, maximum	1.0
(vii)	Heavy metal content (as mg per kg) maximum	
	Lead (as Pb)	100.0
	Cadmium (as Cd)	5.0
	Chromium	50.0
	Nickel	50.0
	Arsenic (as As_2O_3)	10.0
	Mercury (as Hg)	0.15

[F. No. 4-76/2026 Fert Law(P)]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.26 13:09:25 +05'30'